## कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
## लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
## (सामान्य वर्ग)

14300
पत्रांक– एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–85/12 दिनांक–12/09/19

## कार्यालय ज्ञाप

मेसर्स वी0एस0वाई0 इन्टरनेशनल प्रा0लि0, चॉदमारी, इमलिया, जनपद–मऊ का पंजीकरण का नवीनीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–3137एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–85/12, दिनांक–08.07.2016 द्वारा दिनांक–30.06.2018 तक एवं अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक–10897 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–85/12, दिनांक–28.08.2018 द्वारा दिनांक–30.06.2021 तक किया गया है। जिसमें कम्पनी के निदेशक 1. श्री विजय सिंह यादव, एवं 2. श्री मनीष यादव है।

गाजीपुर–चोचकपुर मार्ग के चैनेज 0.00 से 18.895 किमी0 के सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु शासनादेश सं0–37/2016/552(1)/23–11–2015–1/2(268)/15 दिनांक 04.03.2016 द्वारा लागत रू0 2180.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0 वाराणसी के पत्रांक–6780वा0क्षेत्र0–39वा0 क्षे0ले0/14 दि0 30.04.2016 द्वारा प्रदान की गयी, जिसके तहत कम्पनी के पक्ष में अनुबन्ध सं0–06एस0ई–वा0 वृत्त/16–17 दिनांक 20.5.2016 लागत रू0 18,44,09,753.00 का अनुबन्ध विभागीय दरो से 5.00 प्रतिशत अधिक दर पर गठित किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथी 20.5.2016 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.5.2017 निर्धारित थी।

पारा–कासिमाबाद मार्ग के चैनेज 1.00 से 18.200 किमी0 तक चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की शासनादेश सं0–1422रा0स0नि0–23–1–12–687रा0स0नि0/12 दि0 10.01.2013 द्वारा लम्बाई 18.20 किमी0 एवं लागत रू0 3960.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0 वाराणसी के पत्रांक 3524(iv)वा0क्षे0–33वा0क्षे0–13 दिनांक–22.3.2013 द्वारा प्रदान की गयी, जिसके तहत कम्पनी के पक्ष में अनुबन्ध सं0–50एस.ई.–वा0वृत्त/12–13 दिनांक 25.3.2013 लागत रू0 33,12,34,306.00 का अनुबन्ध विभागीय दरों से 5.35 प्रतिशत अधिक दर पर गठित किया गया । अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 25.3.2013 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 24.3.2014 निर्धारित थी।

उक्त अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण न किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–2091एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0–85/12, दिनांक–15.02.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। जिसका उत्तर सम्बन्धित कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक–08.05.2019 प्रस्तुत किया गया। जिसका परीक्षण कारण बताओ नोटिस, उपलब्ध अभिलेखों, प्राविधानों एवं निविदा शर्तों के परिपेक्ष्य में किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं कारित किये जाने की पुष्टि होती है :–

**गाजीपुर–चोचकपुर मार्ग के चैनेज 0.00 से 18.895 किमी0 के सुदृढ़ीकरण का कार्य**–प्रश्नगत् मार्ग की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को की गयी। जिसमें डब्लू.एम.एम. मे सामग्री की इम्पैक्ट वैल्यू किमी0 10.00–14(700) एवं किमी0 18.00 में अधोमानक पायी गयी। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,लखनऊ के पत्र सं0–318/कैम्प–मु0अभि0(मु0)–17/18 दिनांक 01.9.2018 में जी–3/डब्लू0एम0 एम0 के इम्पैक्ट वैल्यू के सम्बन्ध में वर्णित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। प्रकरण से आच्छादित

मार्गो की टी0ए0सी0 जॉच माह मार्च/2018 में की गयी है। जबकि प्रमुख अभियन्ता महोदय का उक्त परिपत्र माह सितम्बर 2018 में निर्गत है। अतएव उक्त परिपत्र प्रकरण की जॉच में प्रभावी नही है।

प्रश्नगत मार्ग को ठीक कराने हेतु मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0 वाराणसी के पत्रांक–374कैम्प/गाजीपुर–चोचकपुर/18 दिनांक– 14.12.18 के द्वारा निर्देशित भी किया गया। परन्तु कम्पनी द्वारा कार्य ठीक नहीं कराया गया। अतएव टी0ए0सी0 द्वारा पायी गयी कमियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी है।

**पारा–कासिमाबाद मार्ग के चैनेज 1.00 से 18.200 किमी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य**–इस मार्ग की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा दिनांक 13.03.2018 को की गयी। किमी0 1.00 एवं 6.00 में डब्लू.एम.एम. में प्रयुक्त सामग्री की इम्पैक्ट वैल्यू अधोमानक पायी गयी। टी0ए0सी द्वारा पायी गयी कमियों को ठेकेदार द्वारा ठीक नहीं कराया गया है। अतएव टी0ए0सी0 द्वारा पायी गयी कमियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी है।

उक्त वर्णित प्रकरणो में पायी गयी कमियों के लिए कम्पनी/निदेशक उत्तरदायी है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कम्पनी/निदेशक द्वारा दिया गया उत्तर बलहीन है। कम्पनी/निदेशक को काली सूची में डाले एवं अपव्यय की वसूली किये जाने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0 वाराणसी के पत्र संख्या–211कैम्प/सी0ई0कैम्प/आ0परि–14/18, दिनांक–20.08.2019 द्वारा की गयी है।

अतः शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/27–पी0डब्लू0–41एम0एस0/1954, दिनांक–24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362एम0टी0जी0/70एफ–68, दिनांक–08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम–15(1) एवं उपर्युक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23 सा0नि0अनु(7), दिनांक–02.12.74 के अर्न्तगत **मेसर्स वी0एस0वाई0 इन्टरनेशनल प्रा0लि0, चॉदमारी, इमलिया, जनपद–मऊ एवं उसके निदेशकों श्री विजय सिंह यादव, एवं श्री मनीष यादव** को उपरोक्त दोनों अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाते हुए फर्म/कम्पनी को **काली सूची (Black List)** किया जाता है तथा नियमानुसार उक्त कम्पनी/निदेशक मेसर्स वी.एस.वाई. इन्टरनेशनल प्रा0लि0, चॉदमारी, इमलिया, जनपद–मऊ का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्र दिनांक–28.08.2018 द्वारा दिनांक–30.06.2021 तक किये गये पंजीकरण आदेश को भी तत्काल प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है।

**(एस0पी0 सक्सेना)**
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, सेतु/वाहृय सहायतित इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
3. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, वाराणसी को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–20.08.2019 के संदर्भ में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कम्पनी/निदेशक के विरुद्ध नियमानुसार अपव्यय की वसूली अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।

6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर–गाजीपुर वृत्त, लो0नि0वि0 जौनपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, कम्टयूराइज्ड खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण–1, लो0नि0वि, गाजीपुर को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

पंजीकृत 11. मेसर्स वी0एस0वाई0 इन्टरनेशनल प्रा0लि0, चॉदमारी, इमलिया, जनपद–मऊ।

(अशोक कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ